

विचार बिन्दु

न्याय युक्त व्यवहार करना, सौंदर्य से प्रेम करना तथा सत्य की भावना को हृदय में धारण करके विनयशील बने रहना ही सबसे बड़ा धर्म है।
-डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

आधार जन्मतिथि, पता तथा नागरिकता का प्रमाण नहीं है, एसआईआर में इसका उपयोग मात्र पहचान सत्यापित हेतु है

बिहार चुनाव विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के आधार पर शान्तिपूर्वक भारी मतदान से चुनाव सम्पन्न हो गया। बिहार चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रारम्भ कर दी है। यह प्रक्रिया राजस्थान सहित 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में हो रहा है और 4 दिसम्बर 2025 तक पूरा होना है। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, तामिलनाडु, मध्यप्रदेश, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, अण्डमान-निकोबार व पाण्डुचेरी है। अनुमान है कि 12 राज्यों में कुल 50,99,72,687 मतदाताओं को शामिल किया जावेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 04.012.2025 मतदाता सूची तक डाफ्ट तथा फाइलदल मतदाता सूची दिनांक 09.02.2026 तक प्रकाशित हो जावेगी।

एसआईआर की वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाईकोर्ट्स में कई याचिकायें पेश हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह मत प्रतीत हो रहा है कि जो पिटीशनर्स हाईकोर्ट्स में पेश हुई हैं, वे सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर करा लें, अथवा हाईकोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करें। इस समय दो मुख्य याचिकायें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं और दोनों ही 26 नवम्बर, 2025 को सुनवाई पर लगी हैं। मुख्य याचिका W.C. (P) NO.640/2025 एसोसियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एण्ड अन्य बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया है, इसके साथ कई पिटीशनर्स संलग्न की गई हैं तथा दूसरी पिटीशन है .P. (P) NO.634/2025 अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य हैं।

भारत के संविधान में कानून बनाने का अधिकार संसद तथा विधानसभा को दिये हैं। संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79, राज्यों की विधान सभाओं का अनुच्छेद 168, संघ की न्यायपालिका का गठन अनुच्छेद 124 में तथा राज्यों की विधानसभाओं का गठन अनुच्छेद 168 व उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 में किया गया है। ये सब इस प्रकार Statutory Bodies है। इसी प्रकार चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र Statutory Body है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। चुनाव (निर्वाचन) के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का सम्पूर्ण अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। संसद, विधानसभा, न्यायपालिका की तरह यह अपने कार्यक्षेत्र में सुप्रीम है। चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र चुनावों के लिये चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने, चुनावों के संचालन, निदेशन, नियंत्रण का है। इस प्रकार चुनाव आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है उसे चुनाव सम्बन्धित सभी कार्यों को सम्पादित करने का सम्पूर्ण अधिकार संविधान ने दिया है। इस प्राकर यह भी स्पष्ट है कि मतदाता सूची कैसे तैयार की जावेगी, इस बाबत भी चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार है, इस प्रकार साधारण चुनाव मतदाता सूची व शुद्धिकरण के हेतु एसआईआर प्रक्रिया का भी उसे अधिकार है। चुनाव के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में एसआईआर का अधिकार चुनाव आयोग में निहित है।

अनुच्छेद 326 स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है कि मताधिकार वयस्क मताधिकार पर आधारित है और केवल उसे प्राप्त है जो भारत का नागरिक है। सभी पिटीशनर्स अनुच्छेद 32 के तहत हैं और पीआईएल है। वे कैसे नागरिक अधिकार के संरक्षण हेतु हो सकती हैं?

उपरोक्त प्रावधानों के अधीन संसद को चुनावों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 327 में दिया है। अनुच्छेद 329 में पुनः इसे स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के विषय में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित किया है। हाँ चुनाव विवाद चुनाव हेतु बनाये गये कानून के तहत केवल चुनाव पिटीशन के द्वारा किया जा सकता है। चुनाव पिटीशन सुनने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में खण्डपीठ के समक्ष पुनः पुनः यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि आधार कार्ड के आधार पर, व्यक्ति को मताधिकार दिया जाना चाहिये तथा यदि उसका नाम पूर्ववर्ती चुनाव नामावली मे आ चुका है तो उसे चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। इस संबंध में समाय-2 पर कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने दिये हैं, किन्तु चल्तेक बहस के समय वही बहस पुनः हो रही है। खण्डपीठ में सुनवाई जस्टिस सूर्यकान्त व जस्टिस जोमाल्या बागची कर रहे हैं।

एसआईआर की प्रक्रिया के बाद नई लिस्ट पर बिहार के चुनाव हो चुके हैं। भारी मतदान हुआ है, जैसे पहले आज तक नहीं हुआ है। किसी भी पिटीशनर ने मतदान के समय किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मतदान केन्द्रों पर नहीं की है। अभी भी कोई भी मतदाता अगर पी एक्ट 1951 के तहत कानून के अनुसार विजयी उम्मीदवार के विरूद्ध चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

यहाँ एक प्रश्न एसआईआर का है और दूसरा प्रश्न आधार कार्ड का है। एसआईआर पर उपरोक्त चरणों में लेखक ने अपने व्यक्तिगत विचार अभिव्यक्त किये हैं। इस लेख के माध्यम से ‘आधार’ के विषय पर अब तक जो समीक्षायें न्यायालयों द्वारा की गई हैं, उन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

पिटीशनर अश्विनी कुमार की पिटीशन पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब पेश कर अपनी भूमिका की विस्तृत जानकारी अभिव्यक्त की है।

चुनाव आयोग ने अश्विनी कुमार उपाध्याय के केस में अपना जवाब दावा पेशकर निवेदन किया है कि आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान को दर्शाता है वह न तो जन्मतिथि की सत्यता का प्रमाण है और न उसके आधार पर मतदाता सूची में उसका नाम ही दर्ज किया जा सकता है तथा न उसका उपयोग मतदाता सूची में नाम काटने तथा जोड़ने हेतु हो सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) इस विवेचन को विशेष तौर स्पष्ट करती है। चुनाव आयोग ने संतोष कुमार दुबे सेक्रेटरी, चुनाव आयोग के शपथ पत्र जो उन्होंने केस के समर्थन में पेश किया है कहा है कि इलेक्शन लॉज (अमेण्डमेण्ट) एक्ट 2021 की धारा 23 में संशोधन कर, अभिव्यक्त किया है कि संशोधन की आवश्यकता इस हेतु थी कि कई जगह की चुनाव नामावली में एक ही व्यक्ति का नाम आने की असंगति को रोकना था। इसी आधार पर फॉर्म 6 भी संशोधित दिनांक 17.06.2022 को किया गया था। धारा 9 आधार अधिनियम 2016 भी इस बात को प्रमाणित करता है कि यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसके समर्थन में शपथ पत्र में बम्बई हाईकोर्ट के निर्णय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम यूआईडीआई (Criminal Petition No.3002 of 2002) का आश्रय लिया है कि आधार जन्मतिथि की प्रमाणिकता का सबूत नहीं है। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने दिनांक 08.09.2025 के आदेश में जो बिहार एसआईआर की प्रक्रिया में पारित किया था या माना है कि उसका उपयोग केवल व्यक्ति पहचान का परिचायक है।

एसआईआर के आधार पर जब मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है तो स्पष्ट है, उससे सम्बन्धित विवाद अनुच्छेद 327 के अनुसार केवल चुनाव याचिका में ही उठाये जा सकते और यह निर्विद कानूनी व्यवहार है कि रिट याचिका के पेन्डिंग होने का इस पर कोई असर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केस कोलन जियम्मल (डी) एलआर बनाम रेवेन्यू डिवीजनल आफिसर व अन्य, 2025 लिव लॉ (एससी) 1108 में दिया है इसका प्रमाण है। इस केस में राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड बनाम कृष्णा कुमारी 2005 (13) एससीसी 151 को समर्थन हेतु रेफर किया है।

दिनांक 26 नवम्बर 2025 की पेशी के समय बहस पर उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं पर माननीय कोर्ट में विचार होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ यह करार दे सकती है कि मतदान का अधिकार केवल देश के नागरिक को ही है अन्य को नहीं तथा आधार केवल पहचान का परिचायक है, किन्तु नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नागरिकता तो संविधान के भाग-2 के प्रावधानों के अनुसार ही तय की जा सकती है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा ही विनियमन किया जा सकता है साथ ही चुनाव सम्पन्न होने के बाद चुनाव सम्बन्धित शिकायतों पर यानी मतदाता सूची की वैधता के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा चुनाव याचिका द्वारा ही हो सकता है।

यह निर्विवाद सत्य है कि संविधान के तहत गठित संस्थाओं को अपने कार्यक्षेत्र में कर्तव्य के निर्वाहन के हेतु सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न (Sovereign) अधिकार प्राप्त है। पार्लियामेण्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपने कार्यक्षेत्र में काम करने का पूर्ण अधिकार है, वे कार्य में त्रुटियां कर सकते हैं, किन्तु उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के कई निर्णय बाद में बड़ी बैठ च ने त्रुटिपूर्ण करार किये हैं। वन शक्ति आदेश को बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो इसी की व्यवस्था फिर से लागू करने वाले दिनांक 18.11.2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस विचाराधारा को प्रमाणिकता प्रदान की है। हाँ यदि ये संस्थान संविधान की मर्यादा के विरूद्ध कार्य करती हैं तो वह अधिकार शून्य होने से अमान्य कहा जा सकता है। फिर चुनाव आयोग के एसआईआर पर सुनवाई करने के अधिकार पर प्रश्न क्यों कर उठाया जा सकता है? एसआईआर की प्रक्रिया मतदाता सूची से सम्बन्ध रखती है, और मत सूची के बाबत Sovereign (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न) अधिकार चुनाव आयोग का है।

चुनाव आयोग के गठन को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुकी है, किन्तु यह विषय तो संविधान के संशोधन का है।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

संपादकीय

देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून : राजस्थान ने रखी सामाजिक सुरक्षा की नई मिसाल

विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 न केवल कानूनी दृष्टि से मजबूत है, बल्कि सामाजिक और संवैधानिक स्तर पर भी यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनकर उभरा है



अरुण चतुर्वेदी

वर्तमान राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 न केवल कानूनी दृष्टि से मजबूत है, बल्कि सामाजिक और संवैधानिक स्तर पर भी यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने दृढ़ता और स्पष्टता के साथ इसे आगे बढ़ाया है। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान अब छल, लालच, दबाव या विदेशी फंडिंग के सहारे कमजोर तबकों का धर्म परिवर्तन कराने वाली गतिविधियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील और जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से

को अपनी आस्था का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरह निरंकुश नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सामाजिक शांति के दायरे में ही मान्य है। इसी संवैधानिक मूल भावना के अनुरूप राजस्थान का नया कानून तैयार किया गया है।इसकी शक्ति और कठोरता इसे सभी राज्यों से अलग बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून में सजा का प्रावधान देश में सबसे अधिक कठोर है। जबकि या धोखे से धर्मांतरण कराने पर सीधे 7 से 14 वर्ष की सजा तय की गई है। यदि नाबालिग, महिला, दिव्यांग अथवा अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति को निशाना बनाया गया है तो सजा 20 वर्ष तक जा सकती है। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में तो आजीवन कारावास का प्रावधान देश में पहली बार किया गया है। विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग करने वालों की संपति जब्त की जा सकेगी और सजा भी अत्यंत कठोर होगी। विवाह के बहाने धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ न्यायालय ऐसी शादी को अमान्य घोषित कर सकेगा। इन प्रावधानों ने यह विधेयक वास्तव में देश का सबसे प्रभावशाली और सबसे कठोर धर्मांतरण रोकने वाला कानून बना दिया है। राजस्थान के संवेदनशील और जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से

धर्मांतरण की शिकायतें आती रही हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और अलवर जैसे जिलों में प्रलोभन, आर्थिक सहायता या सेवा की आड़ में जनजातीय समुदायों को प्रभावित करने के प्रयास कई बार उजागर हुए। समाज की यही पीड़ा आज एक मजबूत कानून के रूप में सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक अस्मिता के साथ खिलवाड़ को अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कानून की खासियत यह है कि यह केवल सख्ती के सहारे काम नहीं करता, बल्कि पारदर्शिता को भी पूरा महत्व देता है। यदि कोई व्यक्ति सचमुच अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है, तो उसे 90 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। धर्मगुरु को भी 60 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है।

पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक होगी और यदि कोई आपत्ति आती है, तो उसका निस्तारण होने के बाद ही धर्म परिवर्तन मान्य माना जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धर्मांतरण स्वतंत्र निर्णय से हो, न कि किसी छिपे हुए दबाव या प्रलोभन की वजह से। इसी के साथ घर वापसी को इस कानून के दायरे से बाहर राखा गया है, ताकि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आस्था में

सुगमता से लौट सके। विधेयक को लेकर कुछ विरोधी दल इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश बताते हैं। लेकिन यह तर्क तब कमजोर पड़ जाता है, जब हम देखते हैं कि कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना है। यदि धर्मांतरण वास्तव में स्वेच्छिक है, तो कानून में निर्धारित प्रक्रिया उसका सम्मान करती है और उसे वैधता प्रदान करती है। लेकिन यदि किसी की स्वतंत्रता खरीदी, दबाई या डराई जा रही है, तो उसे रोकना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

देश के कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से लागू हैं, लेकिन राजस्थान का यह कानून अपनी कठोरता, स्पष्टता और व्यापकता के कारण उनसे कहीं आगे है। यहां सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास का प्रावधान, विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग पर कड़ी सजा, विवाह-आधारित धर्मांतरण की वैधता की जांच आदि इसे देश का सबसे शक्तिशाली कानून बनाते हैं। यह स्पष्ट है कि राजस्थान ने केवल कानून नहीं बनाया, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी मानक स्थापित किया है। इस कानून से सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर कई सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। कमजोर समुदाय अब भय और लातच के दबाव में आने से बचेंगे। विदेशी

फंडिंग का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। जनजातीय क्षेत्रों में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें विफल होंगी। समाज में कृत्रिम विभाजन कम होंगे और सौहार्द बढ़ेगा। साथ ही, स्वेच्छिक धर्म परिवर्तन को अब एक स्पष्ट, सुरक्षित और निष्पक्ष प्रक्रिया मिलेगी। निस्संदेह, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 राजस्थान की सामाजिक दृढ़ता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और संवैधानिक संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। यह देशवासियों को यह विश्वास दिलाता है कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों, हमारी एकता और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए राज्य पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है।

राजस्थान ने इस कानून के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी रक्षा। और जब बात समाज की बुनियाद, उसकी आस्था और उसकी अस्मिता की हो, तब राज्य का हस्तक्षेप केवल उचित ही नहीं, बल्कि अनिवार्य हो जाता है। यह कानून आने वाले वर्षों में राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की सामाजिक संरचना को एक नए संतुलन की ओर ले जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है।

अरुण चतुर्वेदी
अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग

राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं पुरातत्व के ज्ञाता “डॉ. एल.पी. टैसिटोरी”

डॉ. दुलीचंद मीना

इटली के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में लुई द ईंडियन के नाम से प्रसिद्ध एल पी टैसिटोरी राजस्थानी भाषा के महत्व को स्वीकार करने वाले पहले विदेशी विद्वान थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा की मुक्त कठोरे से इन शब्दों में प्रशंसा की:-
“मनै जित्तो प्रेम म्हाारी मातभासा इटालियन सूं है, उण सूं बेसी राजस्थानी सूं है, कारण इण में बळ है, तेज है, ओज है, मिठास है, अर आ बड परबार भासा है।”
राजस्थान के इतिहासकारों में जो स्थान कर्नल टॉड का है, वही स्थान राजस्थान के साहित्यकारों में डॉ.लुइजि पियो तैसिटोरी का है। डॉ. तैसिटोरी का जन्म 13 दिसम्बर, 1887 को उर्दीने (इटली) में हुआ। उर्दीने में अपनी हाईस्कूल की पढाई पूरी करने के बाद तैसिटोरी ने फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने भाषा विज्ञानी ग्राजियाडियो एस्पाया एसकोली से प्रभावित होकर संस्कृत पाठ्यक्रम में दाखिला लिया तथा संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर पाओलो एम्पोलियो पावोलिनी के निर्देशन में “तुलसीदास की रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण” का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जिस पर उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। पहले यह शोध-प्रबंध इतालवी भाषा में तथा बाद में अंग्रेजी में ‘इण्डियन एंटीक्वेरी’ के दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्राच्य भाषाओं के महान विद्वान डॉ.ग्रियर्सन डॉ.तैसिटोरी की प्रतिभा से

बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भारत सरकार को भारतीय रियासतों के मध्यकालीन इतिहास तथा वीरगाथा काव्य के शोध हेतु डॉ.तैसिटोरी की सेवाएं प्राप्त करने की सिफारिश की। डॉ.ग्रियर्सन की सिफारिश पर ऐसियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता द्वारा डॉ.तैसिटोरी को चारणी एवं ऐतिहासिक शोध सर्वेक्षण कार्य का अधीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र जारी किया। यूरोप में जब प्रथम विश्वयुद्ध के बादल मंडरा रहे थे तब डॉ.तैसिटोरी 12 मार्च, 1914 को नेपल्स से यूरोपियन जलयान ‘रोमां’ से रवाना होकर बम्बई होते हुए 11 अप्रैल, 1914 को कलकत्ता पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऐशियाटिक सोसायटी को पत्र लिखकर राजपूताना में जाकर राजस्थानी भाषा का अध्ययन करने का आवेदन किया गया जिसे स्वीकार कर लिया गया। बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंह के आमंत्रण पर तैसिटोरी जोधपुर होते हुए बीकानेर पहुँचे। वहाँ उन्हें पहले 04 महीने तथा बाद में एक वर्ष के लिए बीकानेर राज्य में रखा गया। महाराजा गंगा सिंह ने उन्हें दरबार की लाइब्रेरी के काव्य व ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन कर भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाने का काम सौंपा गया। राजस्थान व राजस्थानी भाषा के प्रति तैसिटोरी के रग-रग में प्रेम भरा हुआ था। उन्होंने डिंगल साहित्य की अपूर्व सेवा की। उन्होंने डिंगल साहित्य की अमूल्य निधि ‘चवनिका राठौड़ रतनसिंह जी री महेस दासोत खिडिया जगारी कही’, ‘बेल क्रिसन रुक्मणी री’, ‘छन्द राव जैतसी रो’ का संपादन किया और ऐशियाटिक सोसायटी से उन्हें प्रकाशित करवाया। राजस्थानी भाषा की ढूंढाडी बोली के ग्रंथ कर कुंडरी कथा का इटालियन भाषा में अनुवाद कर संपादन किया। श्री तैसिटोरी ने अपभ्रंश, गुजराती व राजस्थानी भाषा का संगोपांग अध्ययन किया जिसके आधार पर ‘प्राचीन पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण’ शीर्षक से एक शोध निबंध लिखा। जिसकी प्रशंसा में प्रसिद्ध

भाषाविद् डॉ.सुनीत कुमार चटर्जी ने लिखा है कि, पुरानी राजस्थानी, उच्चारण, रीति, रूपतत्व और वाक्य रीति के पूरे विचार के साथ तैसिटोरी की आलोचना ऐसी महत्वपूर्ण है कि इसे मारवाडी तथा भाषा-तत्व की बुनियाद यदि कहा जायें तो अत्युक्ति न होगी। डॉ नामवर सिंह ने इस निबंध का हिंदी में अनुवाद कर हिन्दी पाठकों के लिए सुरम्य बनाया है। डॉ.तैसिटोरी भाषा शास्त्री के साथ-साथ अपनी पुरातात्विक पारखी दृष्टि से ऐतिहासिक एवं पुरातत्त्वविद भी साबित हुए हैं। उन्होंने अपने अन्वेषण मे मृण मूर्तियाँ, प्रस्तर प्रतिमाओं, शिलालेखों व मुद्राओं का संठाह किया जो बीकानेर के राज्य संठाहालय में संग्रहित है। उन्होंने पुरातात्विक अवशेष रंगमहल, मालिखेडी, बड़ोपल, कालीबंगा व पीलबंगा आदि गांवों में खुदाई करके एकात्र किए। इनसे हडप्पा सभ्यता के व्यापक फैलाव की झलक मिलती है। उन्हें पत्तल की खुदाई में सरस्वती की सोलंकी शैली की दो जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुईं। दोनों ही भारतीय शिल्पकला की दृष्टि से अद्वितीय है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान हर्मन गोएट्ज ने उन्हें ‘मध्ययुगीन भारतीय शैली की सर्वोत्तम कृति’ माना है। भारत आने से पूर्व डॉ.तैसिटोरी ने जैनाचार्य श्री विजय धर्म सूरि जी से संपर्क स्थापित कर लिया था। अपने गुरु को टैसिटोरी ने लिखा कि, “मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आपको आपके अर्पण कर दूँ।” जैनाचार्य श्री विजय धर्म सूरि जी के प्रभाव स्वरूप वे जैन धर्म की ओर उन्मुख हुए। जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रभाव स्वरूप उन्होंने मांसाहार से शाकाहारी भोजन ग्रहण करना शुरू किया तथा उन्होंने एक पत्र मे लिखा “इटली में जैन धर्म के बजाय बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय है, मैं भविष्य में जैन धर्म एवं दर्शन पर एक किताब लिखना चाहता हूँ जिससे यूरोप के लोग जैन धर्म को बेहतर ढंग से जान सकें।” उन्होंने ‘उपदेश माला’, ‘भववैराग्यशतक’, ‘इन्द्रिय

डॉ. टैसिटोरी अपने कार्यालय में, (फाइल फोटो)।

पराजयशतक’, ‘नासिकेतकी कथा’ व ‘पुण्याश्रवक कथा कोष’ का इटालियन भाषा में अनुवाद किया। बीकानेर के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री अगरचंद नाहटा के साहित्य संग्रह में डॉ.तैसिटोरी के अनेक ग्रंथ सुरक्षित रहे हैं जिन्होंने उन्हें अपने भांजे जी हजारीमल बांठिया के माध्यम से राजस्थानी साहित्य को समृद्ध करने की निमोनिया दी है। डॉ.तैसिटोरी ने शैव धर्म के कनफटा नाथ सम्प्रदाय से संबंधित धर्म, दर्शन एवं साहित्य का भी अध्ययन किया। सर ग्रियर्सन ने उन्हें कानफटा नाथ सम्प्रदाय से संबंधित गोरखनाथबोध नामक पुस्तक का संपादन करने के लिए भी नियुक्त किया। सन् 1919 में तैसिटोरी को अपनी माँ की बीमारी की खबर मिली तो 17 अप्रैल, 1919 को जलयान द्वारा

बम्बई से इटली के लिए रवाना हो गए लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पूर्व ही उनका माता का देहान्त हो गया था। अब उनका इटली में रहना निरर्थक हो गया और जब माँ के निधन का वियोग कम हुआ तो पुनः राजपूताना के लिए रवाना हो गए तथा 05 नवम्बर, 1919 को बीकानेर पहुँचे। लम्बी और थका देने वाली यात्रा के दौरान तैसिटोरी को निमोनिया हो गया और उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया। बीकानेर के राजस्व मंत्री श्री जी.डी.रूडकिन अंत समय तक उनकी देखभाल करते रहे लेकिन अन्ततः मात्र 32 वर्ष की उम्र में 22 नवम्बर, 1919 को डॉ.तैसिटोरी का अपने सपनों और कल्पना की भूमि राजपूताना के बीकानेर में निधन हो गया।

-डॉ. दुलीचंद मीना, आर.ए.एस.

राशिगत शुक्रवार 21 नवम्बर, 2025			
	मेघ		सिंह
आपनी कार्य योजना को सीमित रखें। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।		घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।	
	वृष		कन्या
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।		परिवार में इन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।	
	मिथुन		तुला
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।		व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संचालित धन का क्रियाव्ययन होगा।	
	कर्क		वृश्चिक
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना बननी।		मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तित्व प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	
	मिथुन		कुंभ
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।		व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नैकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।	
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आस्थासना प्राप्त होगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।			